

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं.04(1)चिस्वा/2/24/EFIL-11545

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) राजकीय सेवा दिनांक 10.01.2023 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहकर पुनः कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हुये हैं, के विरुद्ध सीसीए नियम-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा० चिकित्सा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. निदेशक जन स्वा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) के विरुद्ध स्वैच्छा से अनुपस्थिति के लिए सीसीए नियम-16 में आरोप पत्रादि तैयार करवाकर अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्ष।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
7837622

Document certified by PREETI MATHUR
<adwecell.we@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :10-06-2024 12:24:35